मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XIX अंक 5 अगस्त 2023

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-3
II. विनियमन	3-4
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	4
IV. फिनटेक	4
V. वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन	4
VI. प्रकाशन	4
VII. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

10 अगस्त 2023 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

जैसा कि हम कुछ ही दिनों में भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर आघातों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत और स्थिर बनी हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था पर्याप्त गति से बढ़ रही है, विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और वैश्विक संवृद्धि में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान दे रही है। हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे बैंक ऐतिहासिक रूप से उच्च पूंजी स्तर, अनर्जक आस्तियों के घटते स्तर और बढ़ती लाभप्रदता के साथ एक दशक से भी अधिक समय से मजबूत बने हुए हैं। न्यूनतर लीवरेज, ऋण चुकौती क्षमता में सुधार और मजबूत लाभप्रदता के साथ कॉर्पोरेट तुलन-पत्र मजबूत हैं। न्यूनतर चालू खाता घाटा और पर्याप्त पूंजी प्रवाह ने हमारे बाह्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। विदेशी आरक्षित निधियों में परिणामी वृद्धि ने बाह्य आघातों के प्रति एक बफर प्रदान किया है। कुल मिलाकर, भारत के मजबूत समष्टि आर्थिक मूल तत्वों ने धारणीय संवृद्धि की नींव रखी है।

2. ऐसे समय में, हमें अपनी संवृद्धि को और अधिक सहारा प्रदान करते हुए समष्टि-वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है। भू-राजनीतिक पुनर्निर्धारण और तकनीकी नवोन्मेषों के मद्देनजर वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों से भारत विशिष्ट रूप से लाभ की स्थिति में है। वृहद घरेलू मांग, अप्रयुक्त संसाधनों और जनसांख्यिकीय लाभ के साथ आगे बढ़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था से भारत विश्व के लिए नया संवृद्धि इंजन बन सकता है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

3. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 8, 9 और 10 अगस्त 2023 को हुई। सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, इसने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है। एमपीसी ने 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो।

4. अब मैं नीतिगत दर और रुख पर इन निर्णयों के लिए एमपीसी के तर्क के बारे में बताता हूँ। हेडलाइन मुद्रास्फीति, मई 2023 में 4.3 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, जून में बढ़ी और सब्जियों की कीमतों के कारण जुलाई-अगस्त के दौरान बढ़ने की आशा है। तथापि, सब्जियों की कीमत का आघात जल्द ही कम हो सकता है, लेकिन अब तक के विषम दक्षिण-पश्चिम मानसून की पृष्ठभूमि में वैश्विक खाद्य कीमतों के साथ-साथ संभावित अल नीनो मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है। ये घटनाक्रम उभरते मुद्रास्फीति प्रक्षेप पथ पर कड़ी निगरानी की मांग करते हैं। एमपीसी द्वारा की गई 250 आधार अंकों की संचयी दर वृद्धि अर्थव्यवस्था में अपना काम कर रही है। तथापि, कमजोर बाहरी मांग के बावजूद घरेलू आर्थिक गतिविधि अच्छी चल रही है और इसकी गति बरकरार रहने की संभावना है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने सतर्क रहने और उभरती स्थिति का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। तदनुसार, एमपीसी ने आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने के साथ नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक लाने और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्थिर करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है।

5. इसके अलावा, मौद्रिक संचारण अभी भी हो रहा है और हेडलाइन मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक बनी हुई है, एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

वैश्विक संवृद्धि

6. वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, ऋण के उच्च स्तर, सख्त और अस्थिर वित्तीय स्थिति, निरंतर भू-राजनीतिक तनाव, विखंडन और मौसम की चरम स्थिति की कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले की आशंकाओं को झुठलाते हुए, कई अर्थव्यवस्थाओं ने उल्लेखनीय आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया है और कठोर अवतरण (हार्ड लैंडिंग) की गंभीर संभावनाएं कम होती दिख रही है। फिर भी, आईएमएफ द्वारा 2023 के लिए वैश्विक संवृद्धि पूर्वानुमान में बढ़ोतरी के बावजूद, चालू वर्ष और अगले कुछ वर्षों में वैश्विक संवृद्धि ऐतिहासिक मानकों से कम रहने की संभावना है। डब्ल्यूटीओ द्वारा विश्व पण्य व्यापार की मात्रा की संवृद्धि 2022 में 2.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 1.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। हेडलाइन मुद्रास्फीति सभी देशों में असमान रूप से कम हो रही है और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। यद्यपि मौद्रिक सख्ती की गति कम कर दी गई है, लेकिन नीतिगत दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। वित्तीय बाजार, जो मौद्रिक सख्ती के चक्र के शीघ्र समाप्त होने की प्रत्याशा से उत्साहित थे, हालिया रेटिंग की घटना और आगामी आंकड़ों के कारण बड़े पैमाने पर दो-तरफा उतार-चढ़ाव के साथ अस्थिर हो गए हैं। पूरा भाषण पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 10 अगस्त 2023 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो।

ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।
विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाजारों; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) भुगतान प्रणालियों; और (iv) फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

i) वित्तीय बाज़ार

1. वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा

जून 2019 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ारों में बेंचमार्क प्रशासकों द्वारा 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के प्रशासन पर एक विनियामक ढांचा जारी किया था, यथा यूएसडी/आईएनआर संदर्भ दर, ओवरनाइट माइबोर, और फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) द्वारा प्रशासित सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन। उस समय से घरेलू वित्तीय बाज़ारों में हुए विकास और वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय बेंचमार्क के विनियमों की समीक्षा की गई है और विदेशी मुद्रा, ब्याज दरें, मुद्रा बाज़ार और सरकारी प्रतिभूतियाँ यथा जमा प्रमाणपत्र (सीडी) दरों पर बेंचमार्क, रेपो दरें, और एफएक्स ऑप्शंस अस्थिरता मैट्रिक्स के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों पर अन्य बेंचमार्क से संबंधित सभी बेंचमार्क के प्रशासन को शामिल करने वाला एक व्यापक, जोखिम-आधारित ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित निदेश जो अलग से जारी किए जा रहे हैं, उनमें बेंचमार्क प्रशासकों के लिए विनियामक निर्देशों की परिकल्पना की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुशासन और निरीक्षण व्यवस्था, हितों का टकराव, नियंत्रण और पारदर्शिता शामिल है। ये निदेश बेंचमार्क की सटीकता और सत्यनिष्ठा के बारे में अधिक आश्वासन प्रदान करेंगे।

ii) विनियमन और पर्यवेक्षण

2. अवसंरचना उधार निधि- एनबीएफसी (आईडीएफ-एनबीएफसी) के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा

अवसंरचना उधार निधि को 2011 में एनबीएफसी की एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया था। आईडीएफ को अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण में एक बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने और एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों पर लागू विनियमों के सामंजस्य के विनियामक उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए, भारत सरकार के परामर्श से आईडीएफ के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई है। संशोधित ढांचे में:

i) आईडीएफ के लिए प्रायोजक की आवश्यकता को वापस लेने;
ii) आईडीएफ को प्रत्यक्ष ऋणदाताओं के रूप में टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की अनुमति देने;
iii) ईसीबी तक पहुंच; और
iv) पीपीपी परियोजनाओं के लिए त्रिपक्षीय करार को वैकल्पिक बनाने की परिकल्पना की गई है। विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

3. उधार देने में जिम्मेदार आचरण: समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित अस्थिर ब्याज वाले ऋणों की ब्याज दर पुनर्निर्धारण में अधिक पारदर्शिता

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई पर्यवेक्षी समीक्षा और जनता के सदस्यों के फीडबैक और संदर्भों से उधारकर्ताओं को उचित सहमति और संचार के बिना उधारदाताओं द्वारा अस्थिर ब्याज वाले ऋणों की अवधि को अनुचित रूप से बढ़ाने के कई उदाहरण सामने आए हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, उधारकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सभी आरई द्वारा लागू किए जाने वाले एक उचित आचरण ढांचे को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस ढांचे में ऋणदाताओं द्वारा अवधि और/या ईएमआई के पुनर्निर्धारण के लिए उधारकर्ताओं के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करने, नियत दर वाले ऋणों पर स्विच करने या ऋणों को पहले बंद करने का विकल्प प्रदान करने, इन विकल्पों के प्रयोग से संबंधित विभिन्न शुल्कों का पारदर्शी खुलासा करने और उधारकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु पर्याप्त संचार की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

4. पर्यवेक्षी डेटा प्रस्तुत करने के लिए निर्देशों का समेकन और सामंजस्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर अपनी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) अर्थात एससीबी, एनबीएफसी, यूसीबी, एआईएफआई आदि को पर्यवेक्षी विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए कई दिशानिर्देश और निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों, विवरणियां प्रस्तुत करने के तरीकों और विवरणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा में बदलाव के कारण एसई को कतिपय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

लागू पर्यवेक्षी विवरणियों को प्रस्तुत करने संबंधी निर्देशों को समेकित और सुसंगत बनाने, अधिक स्पष्टता प्रदान करने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, आंकड़े प्रस्तुत करने संबंधी सभी मौजूदा निर्देशों को एक ही मास्टर निदेश में समेकित करने का प्रस्ताव है जो सभी एसई के लिए संदर्भ का एक एकल बिंदु होगा।

iii) भुगतान प्रणालियां

5. यूपीआई में संवादात्मक भुगतान

यूपीआई ने अपने उपयोग में आसानी, सुरक्षा और संरक्षा तथा वास्तविक समय सुविधा के साथ, भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है। समय के साथ कई नई सुविधाओं के जुड़ने से यूपीआई को अर्थव्यवस्था की विविध भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली है। जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकीकृत हो रहा है, संवादात्मक निर्देशों की यूपीआई प्रणाली के उपयोग में आसानी और इसके परिणामस्वरूप पहुंच को बढ़ाने में काफी संभावनाएं हैं। अतः, यूपीआई पर एक नवोन्मेषी भुगतान मोड अर्थात "संवादात्मक भुगतान" शुरू करने का प्रस्ताव है, जो उपयोगकर्ताओं को एआई-संचालित प्रणाली के साथ संवाद के माध्यम से सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में लेनदेन शुरू करने और पूरा करने में सक्षम करेगा। यह चैनल स्मार्टफोन और फीचर फोन-आधारित यूपीआई चैनल दोनों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे देश में डिजिटल पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगी। शुरुआत में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी और बाद में इसे और अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। एनपीसीआई को शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे।

6. यूपीआई में ऑफ़लाइन भुगतान

यूपीआई पर छोटे मूल्य के लेनदेन की गति बढ़ाने के लिए, बैंकों के लिए प्रसंस्करण संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए सितंबर 2022 में "यूपीआई-लाइट" नामक एक ऑन-डिवाइस वॉलेट की शुरुआत की गई थी, जिससे लेनदेन विफलताओं को कम किया जा सके। उत्पाद को लोकप्रियता मिली है और वर्तमान में प्रति माह दस मिलियन से अधिक लेनदेन का प्रसंस्करण कर रहा है। यूपीआई-लाइट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का उपयोग करके ऑफ़लाइन लेनदेन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

यह सुविधा न केवल उन स्थितियों में खुदरा डिजिटल भुगतान को सक्षम करेगी जहां इंटरनेट/ दूरसंचार कनेक्टिविटी कमजोर है या उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह न्यूनतम लेनदेन विफलता के साथ गति भी सुनिश्चित करेगी। एनपीसीआई को शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 44वीं बैठक 8 से 10 अगस्त 2023 के दौरान आयोजित की गई।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 24 अगस्त 2023 अर्थात मौद्रिक नीति समिति की बैठक के 14वें दिन इस बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। उपर्युक्त पर और मौद्रिक नीति के रुख पर व्यापक चर्चा करने के बाद एमपीसी ने संकल्प अपनाया जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

अतिरिक्त सीआरआर

रिज़र्व बैंक ने 10 अगस्त 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत एक निदेश जारी किया, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/ सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखना आवश्यक बनाया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

उद्गम (UDGAM)

रिज़र्व बैंक ने 17 अगस्त 2023 को एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम (अदावी जमाराशियां - सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार) {UDGAM (Unclaimed Deposits–Gateway to Access inforMation)} जनता के उपयोग हेतु विकसित किया, ताकि उन्हें एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी अदावी जमाराशियों की खोज सुविधाजनक और आसान हो सके। पोर्टल का लोकार्पण श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया। वेब पोर्टल के लोकार्पण से उपयोगकर्ताओं को अपनी अदावी जमाराशियों/खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी और वे या तो जमाराशियों का दावा कर सकेंगे या अपने जमा खातों को अपने संबंधित बैंकों में सक्रिय कर सकेंगे। रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (IFTAS) और सहभागी बैंकों के सहयोग से पोर्टल विकसित किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ईएमआई पर अस्थायी ब्याज दर

रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2023 को अस्थायी दर वाले व्यक्तिगत ऋणों पर समान मासिक किश्तों (ईएमआई) को पुनर्निर्धारित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें उधारकर्ताओं को बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एक निश्चित दर पर स्विच करने की अनुमति भी शामिल है। रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को ऋण मंजूर करते समय उधारकर्ताओं को ऋण पर बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव के संभावित प्रभाव, जिससे ईएमआई, अवधि या दोनों में बदलाव हो सकता है, के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करने का निर्देश दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार

रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2023 को दंडात्मक प्रभार, जो बैंक और अन्य ऋणदाता संस्थान, उधारकर्ता से ऋण संविदा के अननुपालन की स्थिति में वसूल सकते हैं, पर एक परिपत्र जारी किया। जारी परिपत्र के अनुसार, उधारकर्ता द्वारा ऋण संविदा के नियमों और शर्तों के अननुपालन के लिए कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक प्रभार' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। इसके अलावा, दंडात्मक प्रभारों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा। नए दिशानिर्देश 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनबीएफसी के साथ बैठक

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2023 को मुंबई में सरकारी एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित चुनिंदा बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की। गवर्नर ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में हाल के वर्षों में बेहतर वित्तीय स्थिति और परिचालनगत आघात-सहनीयता के लिए एनबीएफसी और एचएफसी की सराहना की। बैंक रहित और अल्प सेवा वाले क्षेत्रों में ऋण पहुंचाने में इस क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए, गवर्नर ने सूचित किया कि एनबीएफसी और एचएफसी को अच्छे समय के दौरान किसी भी लापरवाही से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। गवर्नर ने इन संस्थाओं में सुशासन मानकों और आश्वासन तंत्र, यथा, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा-परीक्षा को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इन संस्थाओं के पास एचएफसी सहित सभी एनबीएफसी की कुल आस्ति का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है। इस बैठक में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. भी उपस्थित थे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बड़े शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2023 को मुंबई क्षेत्र में टियर 3 और 4 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बोर्ड के निदेशकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, रिज़र्व बैंक ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का विषय था, 'बैंकों में सुशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को आगे बढ़ाना'। उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण, विनियमन और प्रवर्तन विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक निदेशकों ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करके आर्थिक विकास का समर्थन करने में शहरी सहकारी बैंकों के उद्देश्यों और शक्तियों का स्मरण करते हुए, गवर्नर ने इन पहलुओं में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि हालांकि यूसीबी क्षेत्र ने हाल के दिनों में समग्र स्तर पर बेहतर वित्तीय निष्पादन किया है,

लेकिन कुछ व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए चिंताएं और कमजोरियां देखी जा रही हैं। उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों को अपने वित्तीय और परिचालनगत आघात-सहनीयता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि वे समग्र वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता में योगदान दे सकें। गवर्नर ने जोर देकर कहा कि व्यक्तिगत बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करने में सुशासन की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों से सुशासन पद्धतियों, विशेष रूप से अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा-परीक्षा के तीन सहायक स्तंभों को और सुदृढ़ करने का आग्रह किया। बोर्डों के कामकाज पर, गवर्नर ने पांच पहलुओं - निदेशकों के पर्याप्त कौशल और विशेषज्ञता, एक पेशेवर प्रबंधन बोर्ड का गठन, बोर्ड के सदस्यों की विविधता और कार्यकाल, बोर्ड चर्चाओं की पारदर्शी और सहभागिता प्रकृति तथा बोर्ड स्तर समितियों की प्रभावी कार्यप्रणाली पर जोर दिया। उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों में पर्याप्त गुणवत्ता और श्रमशक्ति की सही संख्या सुनिश्चित करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों में मानव संसाधनों के प्रति एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण पर भी जोर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2023 को इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-एनबीएफसी (आईडीएफ-एनबीएफसी) के लिए दिशा-निर्देश संशोधित किए ताकि उन्हें आधारभूत संरचना क्षेत्र के वित्तपोषण में बड़ी भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाने और आधारभूत संरचना क्षेत्र के वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाले विनियमों में सामंजस्य स्थापित कर सके। आईडीएफ-एनबीएफसी को ₹300 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि और 15 प्रतिशत का न्यूनतम जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात बनाए रखने का निदेश दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान

रिज़र्व बैंक ने 24 अगस्त 2023 को ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की ऊपरी सीमा को ₹200 की पिछली सीमा से बढ़ाकर ₹500 कर दिया। तथापि, भुगतान लिखत पर ऑफ़लाइन लेनदेन की समग्र सीमा ₹2,000 यथावत है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. फिनटेक

घर्षण रहित ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 अगस्त 2023 को घर्षण रहित ऋण के लिए एक सार्वजनिक तकनीकी मंच के विकास की घोषणा की है। इस मंच को रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह, ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करके घर्षण रहित ऋण संवितरण में सक्षम बनाएगा। एंड-टू-एंड डिजिटल मंच में एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मानक होंगे, जिससे सभी वित्तीय क्षेत्र के सहभागी 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में निर्बाध रूप से जुड़ सकते हैं। प्रायोगिक परियोजना के दौरान, यह मंच, सहभागी बैंकों के माध्यम से प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, डेयरी ऋण, एमएसएमई ऋण (संपार्श्विक रहित), व्यक्तिगत ऋण और आवास ऋण जैसे उत्पादों पर केंद्रित रहेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. वित्तीय स्थिरता विश्लेषण

एफ़एसडीसी उप-समिति की बैठक

रिज़र्व बैंक ने 28 अगस्त 2023 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ़एसडीसी-एससी) की उप-समिति की 30वीं बैठक आयोजित की। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की। उप-समिति ने प्रमुख वैश्विक तथा घरेलू समष्टि आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों, इसके दायरे में आने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी समूहों के भारतीय वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित अंतर-विनियामकीय समन्वय के मामलों तथा विभिन्न राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की समीक्षा की।

एफ़एसडीसी-एससी ने भारतीय वित्तीय प्रणाली के साथ-साथ समष्टि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में किसी भी असुरक्षितताओं, विशेष रूप से गतिशील और अनिश्चित विश्व में वैश्विक प्रभाव विस्तार से, के प्रति सतर्क रहने तथा सुदृढ़, धारणीय और समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने का संकल्प लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 17 अगस्त 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का अगस्त 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में 10 अगस्त 2023 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, दो भाषण, पांच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पाँच आलेख इस प्रकार हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति,
ii) बदलते रुझान: भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार में बैंकेतर निवेशकों का बढ़ता प्रभाव,
iii) बाहरी आघात और कोविड-19 के बाद भारत की संवृद्धि,
iv) भारत में मानसुनी वर्षा पर कृषि की निर्भरता और
v) निजी कॉरपोरेट निवेश: कार्यनिष्पादन और सन्निकट संभावनाएं।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े

अगस्त 2023 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	आंकड़े
1	अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	जुलाई 2023 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	जुलाई 2023 के लिए ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी संबंधी आंकड़े
4	वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन
5	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – जुलाई 2023
6	तिमाही बीएसआर-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण – जून 2023
7	तिमाही बीएसआर-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि - जून 2023
8	2023-24 की पहली तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)
9	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – अगस्त 2023

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।